कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या–152/16 (मखदुमपुर कोदरिया, प्रखंड–मड़वन) **तिथि–03.03.2017**

उपस्थित–श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)

–: निर्णय :–

दिनांक–21.10.2016 को मड़वन प्रखंड के पंचायत राज–मखदुमपुर कोदरिया में अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्षेत्र भ्रमण किया गया। इस दौरान योजना सं0–04/15–16 में 'वार्ड संख्या–05 में गणेश चौहान के घर होते हुए डा0 साकिर हुसैन के जमीन के नव सड़क में मिट्टी भराई कार्य' का स्थल निरीक्षण एवं संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। इसमें सहायक अभियंता, मड़वन द्वारा योजना संख्या 04/15–16 में 19.10.2016 को एम0बी0 पर दिए गए निर्देश का अनुपालन हुआ या नहीं इस संबंध में उनसे प्रतिवेदन की मांग की गयी। क्योंकि अभिलेखीय साक्ष्य में अनुपालन नहीं पाया गया। इस संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी से भी प्रतिवेदन की मांग की गयी।

सहायक अभियंता, मड़वन ने प्रतिवेदित किया है कि उन्होंने कनीय अभियंता को Pit measurement & section measurement के अनुसार काटी गई मिट्टी एवं सड़क में भरी गई मिट्टी का आकलन करने का निदेश एम0बी0 में दिया है जिसका अनुपालन किया जाना है। इस निमित्त लिखित, मौखिक एवं दूरभाष पर भी निदेश उनके द्वारा दिया गया है। इस संबंध में इस कार्यालय से भी कनीय अभियंता से अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गयी है जो अबतक अप्राप्त है।

–: विचारणीय बिन्दु :–

क्या एम0बी0 पर दिए गए निदेश का अनुपालन कनीय अभियंता द्वारा किया गया तथा क्या भुगतान के पहले इसका अनुश्रवण कार्यक्रम पदाधिकारी, मड़वन द्वारा किया गया ?

–: निष्कर्ष :–

इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सहायक अभियंता, मड़वन द्वारा एम0बी0 पर दिए गए निर्देश के अनुपालन हेतु कनीय अभियंता को लिखित, मौखिक एवं दूरभाष पर भी निदेश दिया गया। इसके बावजूद भी कनीय अभियंता, मड़वन द्वारा अनुपालन संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा कार्यक्रम पदाधिकारी, मड़वन द्वारा भी पर्यवेक्षण नहीं किया गया। इस अनियमितता के लिए कार्यक्रम पदाधिकारी, मड़वन एवं कनीय अभियंता, मड़वन लापरवाही व निर्देशों की अवहेलना के दोषी प्रतीत होते हैं।

–: आदेश :–

उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है :–

01 कार्यक्रम पदाधिकारी, मड़वन, श्रीमती तृप्ति लाल से दंड के रूप में दस हजार रु0 उनके वेतन से काट लिया जाए।

02 कनीय अभियंता, मड़वन, श्री राम नारायण गुप्ता से दंड के रूप में पाँच हजार रु0 उनके वेतन से काट लिया जाए।

ह0 —

लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 39 / **मुज0,दिनांक–** 03/03/**2017**

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुज0 को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।

रमेन्द्र नाथ राय 3.3.17

लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

D/DRDA/Damodar/Lokpal app...

2